राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3249 / 2022

शौबाई मीना (कर्मचारी आई.डी.– आरजेडीए200813051051)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक	:	16.08.2022
आदेश की दिनांक	:	07.12.2022

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री आर.के. निगम, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने स्थानांतरण आदेश दिनांक 03.08.2022 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी थी। जिस आदेश के द्वारा अपीलार्थीय, जो कि ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थी, उनका स्थानांतरण ग्राम पंचायत पण्डितपुरा, प.स. बसवा से पंचायत समिति बैजूपाड़ा किया गया है। इस अपील में पूर्व में इस अधिकरण द्वारा दिनांक 07.09.2022 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित कर उक्त स्थानांतरण आदेश का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किये जाने के आदेश दिये थे। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी का उक्त स्थानांतरण आदेश अनुलग्नक–1 द्वारा किया गया स्थानांतरण निरस्त किया जा चुका है एवं अपीलार्थी को अब नवीन पदस्थापित स्थान ग्राम पंचायत नारायणपुरा, प.स.बांदिकुई में पदस्थापित किया गया है। जिस संबंध में पारित आदेश दिनांक 06.10.2022 (अनुलग्नक–R1) प्रस्तुत किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन है कि उक्त आदेश दिनांक 06.10.2022 की पालना में अपीलार्थीया द्वारा ग्राम पंचायत नारायणपुरा पंचायत समिति बांदिकुई में कार्यग्रहण भी दिनांक 10.10.2022 को कर लिया गया है। ऐसे में अब अपील में लिया गया आधारा शेष नहीं रहा है।

2. हमारे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

3. अपीलार्थी द्वारा आलौच्य स्थानांतरण आदेश की पालना में नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण किया जा चुका है, ऐसे में नवीन आदेश दिनांक 06.10.2022 की पालना हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आलौच्य आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार शेष नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अंतरिम आदेश दिनांक 07.09.2022 निरस्त किया जाता है।

4. आदेश आज दिनांक 07.12.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)